detained in jails for more than 18 months without committal proceedings or after the commencement of trial;

(b) if so, whether Government propose to ask all the State Governments to prepare such lists annually in the interest of justice; and

(c) if the answer to part (b) above be in the negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) Yes, Sir. The Supreme Court has recently issued orders for the Government of Bihar to make an annual census of undertrial prisoners who are in jails for a period of more than 18 months without committal proceedings or trial having commenced.

(b and (c) State Governments have been advised from time to time to examine the cases of undertrial prisoners and consider their release on bail/personal bonds and providing the services of counsels to them. However, it is for the State Governments themselves to consider making periodic review of the position regarding undertrial prisoners whose trials commitment proceedings have not commenced and take other measures for speedy justice.

हरिजन/आदिवासी उप-योजना

1557. **श्री राधाकिशन मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार को 1980–81 से 30 अगस्त, 1982 तक हरिजन-आदिवासी उप-योजना (सब प्लान) के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) क्या दी गई धनराशि का उपयोग हरिजन-आदिवासियों के विकास पर किया गया, यदि नहीं, तो 1980–81 में तथा 30 अगस्त, 1982 तक कितनी धनराशि व्यपगत (लेप्स) हुई; और

(ग) क्या राज्य सरकार को हरिजन-आदिवासी उप-योजना के अधीन दी गई धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) काफी अनुसूचित जाति जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों की भांति मध्य प्रदेश सरकार भी अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना और जनजाति उपयोजना तैयार करती है। भारत सरकार विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और राज्यों की जनजाति उप योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। विशेष केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार योजना के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं में निर्धारित और अपनी-अपनी विशेष कम्पोनेंट योजनायों तथा जनजाति उपयोजना में लाये गये बहुत बड़े परिव्यय के लिए योगात्मक होती है और यह किसी योजनाबद्ध आधार पर नहीं दी जाती है। इसलिए विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग का पुनरीक्षण कुल मिलाकर विशेष कम्पोनेंट योजनाओं। जन जाति उप योजनाओं के साथ-साथ किया जाता है न कि अलग से किया जा सकता है। 1980–81 से 30 अगस्त, 1982 तक विशेष कम्पोनेंट योजना और जनजाति उप-योजना दोनों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को दी गई धनराशि 8155.66 लाख रुपये है। धनराशि दूसरे काम में लगाने के विरुद्ध एक क्रियाविधि के रूप में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सलाह

दी गई है कि वे अपने बजट में लघु-शीर्ष/उप शीर्ष शामिल करें; जिनमें विभिन्न विभागीय बजटों से जनजाति उप-योजनाओं तथा विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के लिए परिव्यय दिखाया गया हो। मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत अलग से आंवंटन दर्शाने के लिए अपनी विशेष कम्पोनेंट योजना हेतु पृथक उप शीर्ष और अपनी जनजाति उपयोजनाओं हेतु पृथक मांग शीर्ष खोले हैं।

हरिजन/आदिवासी महिलाओं का अपहरण और बलात्कार

1558. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) मार्च, 1982 से अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान हरिजन/आदिवासी महिलाओं के अपहरण और बलात्कार के कितने मामले हुए;

(ख) मार्च, 1982 से अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में इस प्रकार के कितने मामले थानों में दर्ज किये गये; और

(ग) पुलिस ने इनमें से कितने मामलों में चालान किया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर) : (क) मार्च, अगस्त, 1982 के बीच अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के 244 मामले और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के 70 मामले सूचित किए गए हैं। ये आंकड़े भिन्न-भिन्न महीनों के हैं जहां तक विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं के अपहरण के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) थाने-वार और संभाग-वार सूचना नहीं रखी जाती है। फिर भी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई, सूचना के अनुसार राज्य में मार्च से मई तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के 50 मामले तथा अनुसूचित जनजाति महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले सूचित किए गए थे।

Inter-State Seniority list of Treasury Department in Karnataka

1559. SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE:
SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:
SHRI JAGANNATHRAO JOSHI:
SHRI LAKHAN SINGH:
DR. BHAI MAHAVIR:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether under Section 115 of the State Reorganisation Act of 1956 the Central Government had to ensure that the Inter-State Seniority list of all cadres for Treasury Department in Karnataka was drawn up as on 1-11-1956 in accordance with the principles laid down by it;

(b) whether it is a fact that the list was not prepared till as late as 1978 and that when it was drawn up in 1978 the principles provided for by the said Act were not observed in the case of Karnataka;

(c) whether the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Personnel and Administrative Reforms) have received any representation against this violation; and

(d) if so, how many and what action has been taken to remove the cause of grievances?